



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09122022-240951  
CG-DL-E-09122022-240951

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5515]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 9, 2022/अग्राहायण 18, 1944

No. 5515]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 9, 2022/AGRAHAYANA 18, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5751(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के वर्धा जिले में NH353-I के कि.मी. 38 से कि.मी.48 (सेलडोह से ड्राई पोर्ट) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "०१. १०. २०२२" को "टाइम्स ऑफ इंडिया" और "लोकमत" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

#### अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के वर्धा जिले में NH353-I के कि.मी. 38 से कि.मी.48 (सेलडोह से ड्राई पोर्ट) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: वर्धा			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: सेलू				
	गांव का नाम: डोर्लि				
1	31	निजी(एग्रीकल्चर)	एग्रीकल्चर	0.109	राजू रामराव उमाटे, प्रविण रामराव उमाटे (31/1, 31/2)
2	35	निजी(एग्रीकल्चर)	एग्रीकल्चर	0.058	संजय बापुराव बोंगाडे, रामकृष्ण बापुराव बोंगाडे, विलास बापुराव बोंगाडे, छाया बापुराव बोंगाडे, माया शरदराव राऊत, जया पांडुरंग भरणे ( )
	गांव का नाम: खडकी				
3	132	निजी(एग्रीकल्चर)	एग्रीकल्चर	0.116	कविता गोपालदास चेतानी (132)
4	141	निजी(एग्रीकल्चर)	एग्रीकल्चर	0.062	रामलाल महादेव वैद्य, प्रमोद नत्थूजी वैद्य, किसनाबाई नत्थूजी वैद्य (141/1)
5	157	निजी(एग्रीकल्चर)	एग्रीकल्चर	0.093	अशोक घनश्याम काचोरे, नरेंद्र घनश्याम काचोरे, रवींद्र घनश्याम काचोरे (157)

गांव का नाम: सेल्डोह					
6	10	निजी(एग्रीकल्चर)	एग्रीकल्चर	0.0175	विजय शंकरराव बोकाडे, सुशील विजयराव बोकाडे, प्रशांत विजयराव बोकाडे, वैभव विजयराव बोकाडे (10/2)
7	11	निजी(एग्रीकल्चर)	एग्रीकल्चर	0.071	चंद्रहास तानबाजी सोनटक्के, शेषराव चंद्रहास सोनटक्के, राजेश चंद्रहास सोनटक्के ((11/1,11/2,11/3))
8	365	निजी(एग्रीकल्चर)	एग्रीकल्चर	0.0015	अभय बाळकृष्ण पाटील, ज्ञानेश्वर शिवाजी हिरुडकर (365)
9	366	निजी(एग्रीकल्चर)	एग्रीकल्चर	0.1417	नामदेव रामचंद्र सोनटक्के (366)
10	368	निजी(एग्रीकल्चर)	एग्रीकल्चर	0.077	यशवंत ग्रामीण शिक्षण संस्था वर्धा (368)
11	369	निजी(एग्रीकल्चर)	एग्रीकल्चर	0.1168	अनुसयाबाई ज. अभिमान सोनटक्के (369)
12	370	निजी(एग्रीकल्चर)	एग्रीकल्चर	0.0183	ताराचंद गणपतराव सोनटक्के (370)
13	6	निजी(एग्रीकल्चर)	एग्रीकल्चर	1.49	आशिष चंद्रकांत उत्तरवार, कीर्ती कृष्ण वनगीनवार, ग्रामोत्थान संस्थान वर्धा तर्फे संचालक, क्षीरसागर पुंडलिकराव भारद्वाज, ग्रामोत्थान संस्थान वर्धा तर्फे संचालक, कुमुदबाई ज. क्षीरसागर भारद्वाज ((6/1/A,6/1/B,6/2/A,6/3/A,6/4))
14	9	निजी(एग्रीकल्चर)	एग्रीकल्चर	0.0188	प्रशांत विजय बोकाडे (9)
			कुल	2.3906	

[फा. सं. NHAI/PIUNagpur-2/MMLP/LA/3(a)/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2022

**S.O. 5751(E).**— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH353-I on the stretch of land from Km. 38 to Km. 48 (Seldoh to Dry port) in the district of WARDHA in the state of MAHARASHTRA

And whereas the substance of the said notification has been published in “Times of India” and “Lokmat” both dated **01.10.2022**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

## SCHEDULE

**Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH353-I in the stretch of land from Km. 38 to Km. 48 (Seldoh to Dry port) in the district of WARDHA in the state of MAHARASHTRA.**

State: MAHARASHTRA		District: WARDHA			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	<b>Taluk: Seloo</b>				
	<b>Village: Dorli</b>				
1	31	Private(AGRICULTURE)	AGRICULTURE	0.109	Raju Ramrao Umate, Praveen Ramrao Umate 31/1, 31/2
2	35	Private(AGRICULTURE)	AGRICULTURE	0.058	Sanjay Bapurao Bongade, Ramkrushna Bapurao Bongade, Vilas Bapurao Bongade, Chaya Bapurao Bongade, Maya Sharadrao Raut, Jaya Pandurang Bharne 35
	<b>Village: Khadki</b>				
3	132	Private(AGRICULTURE)	AGRICULTURE	0.116	Kavita Gopaldas Chetani 132
4	141	Private(AGRICULTURE)	AGRICULTURE	0.062	Ramlal Mahadeo Vaidya, Pramod Natthuji Vaidya, Kisanabai Natthuji Vaidya 141/1
5	157	Private(AGRICULTURE)	AGRICULTURE	0.093	Ashok Ghanshyam Kachore, Narendra Ghanshyam Kachore,

					Ravindra Ghanshyam Kachore 157
	<b>Village: Seldoh</b>				
6	10	Private(AGRICULTURE)	AGRICULTURE	0.0175	Vijay Shankarrao Bokade, Sushil Vijayrao Bokade, Prashant Vijayrao Bokade, Vaibhav Vijayrao Bokade 10/2
7	11	Private(AGRICULTURE)	AGRICULTURE	0.071	Chandahas Tanbaji Sontakke Sheshrao Chandahas Sontakke Rajesh Chandahas Sontakke (11/1,11/2,11/3)
8	365	Private(AGRICULTURE)	AGRICULTURE	0.0015	Abhay Balkrushna Patil, Gyaneshwar Shivaji Hirudkar 365
9	366	Private(AGRICULTURE)	AGRICULTURE	0.1417	Namdeo Ramchandra Sontakke 366
10	368	Private(AGRICULTURE)	AGRICULTURE	0.077	Yashwant Gramin Shikshan Sanstha Wardha 368
11	369	Private(AGRICULTURE)	AGRICULTURE	0.1168	Anusayabai J. Abhiman Sontakke 369
12	370	Private(AGRICULTURE)	AGRICULTURE	0.0183	Tarachand Ganpatrao Sontakke 370
13	6	Private(AGRICULTURE)	AGRICULTURE	1.49	Ashish Chandrakant Uttarwar, Kirti Krushna Wanginwar, Gramotyan Sanstha Wardha Tarfe Sanchalak, Kshirsagar Pundlikrao Bharadwaj, Gramotyan Sanstha Wardha Tarfe Sanchalak, Kumudbai J. Kshirsagar Bharadwaj (6/1/A,6/1/B,6/2/A,6/3/A,6/4)
14	9	Private(AGRICULTURE)	AGRICULTURE	0.0188	Prashant Vijay Bokade 9
			<b>TOTAL</b>	<b>2.3906</b>	

[F. No. NHAI/PIUNagpur-2/MMLP/LA/3(a)/3D]

RAJESH GUPTA, Director